राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक– प.3(1201) नविवि/3/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक 12 MAY 2020

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 12 में न्यास को आरक्षित दर निर्धारण करने एवं किसी भी समय बाजारी परिस्थितियों के मध्यनजर आरक्षित दर को बढाने, घटाने व समान रखने के प्रावधान हैं। डीएलसी दर इसका आधार नहीं होगा।

गैर योजना क्षेत्र व अन्य क्षेत्र में कुछ प्राधिकरण/न्यासों द्वारा आरक्षित दर का निर्धारण किया हुआ है, किन्तु कुछ प्राधिकरण और न्यासों द्वारा आरक्षित दर का निर्धारण नहीं किया गया है। आरक्षित दर का निर्धारण नहीं होने से गैर योजना क्षेत्र में भूमि आवंटन, भवन निर्माण स्वीकृति, खांचा भूमि आवंटन, कृषि भूमि के प्रकरणों में समतुल्य राशि लेना, मुख्यमंत्री, जन आवास योजना के अंतर्गत राशि लेने आदि के प्रकरणों के निस्तारण में आम जन को कठिनाई का सामना करना पडता है।

अतः प्राधिकरणों एवं न्यासों को इस संबंध निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के सभी जोनों की आरक्षित दर बाजारी परिस्थितियों के मध्यनजर अतिशीघ्र निर्धारित की जावे। जिस क्षेत्र की आरक्षित दर जब तक निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक संबंधित क्षेत्र की आरक्षित दर, डीएलसी दर की आधी दर को मानते हुए कार्यवाही की जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner